"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2018—फाल्गुन 4, शक 1939

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महेश कुमार देवांगन आत्मज स्व. तुलाराम देवांगन, उम्र 46 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-5, ब्लाक नं.-3, सड़क नं.-9, हास्पिटल सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम महेश कुमार (MAHESH KUMAR) दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम महेश कुमार देवांगन (MAHESH KUMAR DEWANGAN) रख लिया हूं. तथा यह नाम मेरे आधार कार्ड में भी दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे महेश कुमार देवांगन आ. स्व. तुलाराम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| महेश कुमार<br>(MAHESH KUMAR)<br>पिता-स्व. तुलाराम देवांगन<br>निवासी-क्वा. नं.-5, ब्लाक नं.-3, सड़क नं. 9,<br>हास्पिटल सेक्टर, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) | महेश कुमार देवांगन<br>(MAHESH KUMAR DEWANGAN)<br>पिता-स्व. तुलाराम देवांगन<br>निवासी-क्वा. नं.-5, ब्लाक नं.-3, सड़क नं. 9,<br>हास्पिटल सेक्टर, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अचल इरपाची आत्मज श्री मंशाराम इरपाची, उम्र 20 वर्ष, निवासी–क्वा. नं.–2/बी, सड़क नं.–01, सेक्टर नं.–09, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पिता भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम अचल इरपाची दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे पिताजी के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अचल पठारी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम अचल इरपाची रख लिया हूं व अपने पिताजी के सर्विस रिकार्ड में मेरा सही नाम जोड़वाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अचल इरपाची आ. श्री मंशाराम इरपाची के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

अचल पठारी
पिता–श्री मंशाराम इरपाची
निवासी–क्वा. नं.–2/बी, सड़क नं.–01, सेक्टर–09,
भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

अचल इरपाची
पिता–श्री मंशाराम इरपाची
निवासी–क्वा. नं.–2/बी, सड़क नं.–01, सेक्टर–09,
भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ.ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुमन बर्छिहा ध.प. श्री विपिन कुमार बर्छिहा, उम्र 41 वर्ष, जाति–कुर्मी, निवासी–जवाहर नगर, वार्ड नं.–18, म.नं.–12, दुर्ग, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. डागेश्वरी वर्मा, आत्मजा सोनचंद वर्मा (एस.सी.वर्मा) था. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अभिलेखों में मेरा यही नाम दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 05–05–1992 को श्री विपिन कुमार बर्छिहा के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सुमन बर्छिहा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सुमन बर्छिहा ध.प. श्री विपिन बर्छिहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

कुमारी डागेश्वरी वर्मा
पिता–श्री सोनचंद वर्मा (एस. सी. वर्मा)
निवासी–पी.डब्ल्यू.डी. क्वा., हंडी पसरा, राजनांदगांव
तह. व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

**नया नाम**

श्रीमती सुमन बर्छिहा
पति–श्री विपिन बर्छिहा
निवासी–जवाहर नगर, वार्ड नं.–18, म.नं.–12, दुर्ग
तह. व जिला–दुर्ग (छ.ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आयशा अली ध.प. श्री सैय्यद समशीर अली, उम्र 25 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-17/सी, सड़क नं.-33, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. पायल श्रीवास्तव आत्मजा श्री गणेश श्रीवास्तव था. जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 15-09-2015 को सैय्यद समशीर अली आत्मज श्री सैय्यद सुजात अली के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती आयशा अली रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती आयशा अली ध.प. श्री सैय्यद समशीर अली के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

कु. पायल श्रीवास्तव
पिता-श्री गणेश श्रीवास्तव
निवासी-क्वा. नं.-3/बी, सड़क नं.-19, सेक्टर-10,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

श्रीमती आयशा अली
पति-श्री सैय्यद समशीर अली
निवासी-क्वा. नं.-17/सी, सड़क नं.-33, सेक्टर-10,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

---

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

**रा.प्र.क्र. 01 ब/113 (1) वर्ष 2017-18**
**ग्राम-जौंदी, तहसील-अभनपुर**

क्रमांक/37/2/वा-2/अविअ/2018.—एतद्द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री राधाकृष्ण मंदिर सार्वजनिक न्यास ग्राम जौंदी, तहसील अभनपुर जिला रायपुर सर्वराकार श्री अभय राम यदु पिता स्व. श्री शोभाराम यदु को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार भोग राग, पूजा-पाठ एवं व्यवस्था हेतु पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन किया जाना है.

अत: इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट (न्यास) अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट (न्यास) के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की 01 माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की 02 प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता एजेंट के माध्यम से दिनांक 09-02-2018 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों को किसी भी प्रकार विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 08-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुहर सहित जारी किया गया.

अनुसूची

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता | : | श्री राधाकृष्ण मंदिर सार्वजनिक न्यास, ग्राम-जौंदी, तहसील-अभनपुर जिला-रायपुर. |
| (2) | चल संपत्ति | : | निरंक. |
| (3) | अचल संपत्ति | : | खसरा नंबर 65, 188, 430, 480, 778, 716, 1260, 1249, 870, 1348 रकबा क्रमशः 0.24, 0.42, 3.16, 0.85, 0.092, 0.10, 0.28, 0.64, 0.16, 0.21 कुल रकबा 6.98. |

**जोगेन्द्र नायक,**
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

---

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

मुंगेली, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक/परिसमापन/2018/40.—मां भवानी बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. घुठेरा नवागांव पंजीयन क्रमांक 160 पंजीयन दिनांक 24-03-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 11-12-2017 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ.ग. सहकारिता विभाग का आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं श्री सी. एस. जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुंगेली मां भवानी बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. घुठेरा नवागांव पंजीयन क्रमांक 160 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आई.एस. तंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

मुंगेली, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक/परिसमापन/2018/41.—मिनीमाता महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मानपुर, पंजीयन क्रमांक 265 पंजीयन दिनांक 5-01-2009 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1598 दिनांक 11-12-2017 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ.ग. सहकारिता विभाग का आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयन की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं श्री सी. एस. जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुंगेली मिनीमाता महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मानपुर पंजीयन क्रमांक 265 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आई.एस. तंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

मुंगेली, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक/परिसमापन/2018/42.—जय माॅ दुर्गा महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. दुल्लापुर, पंजीयन क्रमांक 281 पंजीयन दिनांक 24-02-2010 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1599 दिनांक 11-12-2017 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ.ग. सहकारिता विभाग का आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयन की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं श्री सी. एस. जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुंगेली जय माॅ दुर्गा महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. दुल्लापुर पंजीयन क्रमांक 281 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आई.एस. तंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

**सी. एस. जायसवाल,**
सहायक पंजीयक.

---

## कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरिया, जिला-कोरिया (छ.ग.)

कोरिया, दिनांक 22 जनवरी 2018

**[ छ.ग. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परिसमापन/2018/73.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/सप.को/परि./2008/154 वै.पुर दिनांक 10-4-2008 के द्वारा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. मनेन्द्रगढ़, तहसील मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 1516 दिनांक 06-08-1973 है, को छ.ग. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री विद्यमान सिंह स.वि.अ. मनेन्द्रगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं द्वारिकानाथ, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरिया, जिला-कोरिया छ.ग. सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ.ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012, रायपुर दिनांक 4-05-2012 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कोरिया, दिनांक 22 जनवरी 2018

**[ छ.ग. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परिसमापन/2018/74.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/सप.को/परि./2008/154 वै. पुर दिनांक 10-4-2008 के द्वारा एस.ई.सी.एल. कर्मचारी सहकारी उप. भंडार, मर्या. चिरमिरी, तहसील वै.पुर जिला कोरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 1720 दिनांक 18-09-1989 है, को छ.ग. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री विद्यमान सिंह स.वि.अ. मनेन्द्रगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं द्वारिकानाथ, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरिया, जिला-कोरिया छ.ग. सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ.ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012, रायपुर दिनांक 4-05-2012 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**द्वारिकानाथ,**
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.